न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 27 / 2023

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

श्री दीपक तुनवाल पुत्र श्री भंवरलाल तुनवाल निवासी महादेव कॉलोनी बडी नागफणी अजमेर पुलिस थाना गंज अजमेर । ....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 03.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.01.2023 को जिला रसद अधिकारी अजमेर अजमेर के हमराह श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीमती दुर्गावती प्रवर्तन निरीक्षक एवं सुश्री उर्मिला सेहर, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा महादेव कॉलोनी बडी नागफणी अजमेर स्थित श्री दीपक तुनवाल पुत्र श्री भंवरलाल तुनवाल के मकान में अवैध रूप से एलपीजी सिलेण्डरो का भण्डारण एवं गेस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा कार्यवाही की गयी। मौके पर श्री दीपक तुनवाल पुत्र श्री भंवरलाल तुनवाल उपस्थित मिले तथा इनके मकान के आगे की तरफ बनी दुकान की जांच करने पर दुकान में अनेक एलपीजी सिलेण्डर रखे हुए पाये गये। साथ ही सिलेण्डरो के आस पास टूटी हुई सीले, कैप, रिफलिंग इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक कांटा रिफिलिंग बासुरी इत्यादि रखे होना पाया गया । वक्त मौका जांच करने पर दुकान में व्यावसायिक श्रेणी (क्षमता 15 किग्रा) के 25 सिलेण्डर, व्यावसायिक श्रेणी (क्षमता 05 किग्रा) के 06 सिलेण्डर, घरेलू श्रेणी (क्षमता 14. 2 किग्रा) के 04 सिलेण्डर कुल 36 एलपीजी सिलेण्डर पाये गए जिनका नजदीकी गैस एजेन्सी, चन्दायन गैस एजेन्सी अजमेर के कार्मिक श्री अय्यूब खान पुत्र श्री कय्यूम खान को बुलवाकर प्रमाणित आईएसआई मार्का से वजन करवाने में जब्त सिलेण्डरों में कुल 469. 30 किग्रा एलपीजी भरा होना पाया गया । वक्त मौका जांच करने पर दुकान में गैस सिलेण्डरो के पास एलपीजी सिफिलिंग की एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसकी दो तरफ पाइप व रेगूलेटर जुडे हुए थे एक प्लेटफार्म कांटा एक गोल हैड वेट काटा, दस डेमेज रेगूलटर, बीस सिलेण्डर कैप, टूटी हुई सीले व एक रिफिलिंग उपकरण बासुरी का होना पाया गया। इस प्रकार मौके पर अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया इस स्थान पर गैस सिलेण्डरो के

जिला कलक्टर
अजमेर

रिफिलिंग व अवैध व्यवसाय करने की पुष्टि हुई। मौके पर वक्त जांच गैस सिलेण्डरो के बारे में पूछताछ करन पर श्री दीपक तुनवाल द्वारा व्यावसायिक सिलेण्डर को 1645 रूपये में खरीदकर आगे ग्राहको को 1765 रूपये में विक्रय कर प्रति सिलेण्डर 120 रूपये का मुनाफा प्राप्त करना बताया गया । वक्त जांच श्री दीपक तुनवाल के पास गैस सिलेण्डरो से सबंधित उपभोक्ता डायरी, बिल वाउचर रसीदे इत्यादि नहीं होना पाया गया। वक्त जॉच उपस्थित व्यक्ति के पास एल.पी.जी. रिफलिंग, एल.पी.जी व्यवसाय एवं एल.पी.जी भण्डारण सम्बन्धी कोई अनुज्ञा पत्र व अनुमति पत्र नही होना पाया गया तथा परिसर में श्री दीपक तुनवाल यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के घनी आबादी क्षेत्र में गैस रिफलिग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारक व जोखिमपूर्ण है, जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रबल सम्भावना थी । वक्त जॉच अवैध गैस रिफलिंग कार्य पमाणित पाये जाने पर श्री दीपक तुनवाल से कुल 38 गैस सिलेण्डर मय 469.30 किग्रा गैस जिनका विवरण तोल तलपट्टी पर अंकित है एवं एक रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर, एक प्लेटफॉर्म काटा, एक गोल हैड वेट काटा, दस डेमेज रेगूलेटर, बीस सिलेण्डर कैप, टूटी हुई सीले व एक रिफिलिंग उपकरण (बांसुरी) को कब्जेराज कर श्री अय्यूब पुत्र श्री कय्यूम, कार्मिक चन्द्रायन गैस एजेन्सी अजमेर को यथासुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर जब्त किये गये सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र.सं.	सिलेण्डर का एस आर क्रमांक	सील/अनसील्ड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भर/टेयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी कि.ग्रा.	शुद्ध गैस का भार (5–4) कि.ग्रा. में
1	1454525	HPCL	19.2	19.2	0
2	0460795	HPCL	19.3	19.3	0
3	011887	HPCL	19.2	25.2	6
4	23790	HPCL Sealed	19.4	35.2	15.8
5	44146	HPCL Sealed	19.3	36	16.7
6	004024	HPCL Sealed	19.5	38.1	18.6
7	6923	HPCL Sealed	19.1	38	18.9
8	24300	HPCL Sealed	19.4	37.4	18
9	009076	HPCL Sealed	19.1	35.1	16
10	033735	HPCL Sealed	19.3	35.3	16
11	038017	HPCL Sealed	19.1	35.1	16
12	00119	HPCL Sealed	19.1	35.1	16
13	50244	HPCL Sealed	19.1	35.1	16
14	46351	HPCL Sealed	19.5	36.5	17
15	12742	HPCL Sealed	19	37	18
16	12681	HPCL Sealed	19.1	38	18.9
17	13270	HPCL Sealed	19.3	38.3	19
18	12175	HPCL Sealed	19.1	38.1	19
19	04889	HPCL Sealed	19.4	38.2	18.8
20	001632	HPCL Sealed	19.4	38.2	18.8
21	11162	HPCL Sealed	19.3	38.1	18.8
22	020495	HPCL Sealed	19	37.5	18.5

जिला कलक्टर,
अजमेर

23	19536	HPCL Sealed	19	38	19
24	12684	HPCL Sealed	19.3	38.3	19
25	02738	HPCL Sealed	19.4	37.4	18
26	10851	HPCL Sealed	19.3	37.3	18
27	00532	HPCL Sealed	19.2	38	18.8
28	008320	HPCL Sealed	19.1	19.1	0
29	48894	IOCL Sealed	8.3	12.3	4
30	299789	IOCL Unsealed	8.1	10.1	2
31	154938	IOCL Unsealed	8.6	9.6	1
32	30684	IOCL Unsealed	8.2	9	0.8
33	155029	HPCL Unsealed	8.4	8.4	0
34	031262	IOCL Unsealed	8.6	8.6	0
35	30681	BPCL Sealed	16.1	30	13.9
36	429069	BPCL Sealed	15.5	29.5	14
37	528412	HPCL Unsealed	16	16	0
38	818807	HPCL Unsealed	15.6	15.6	0
TOTAL			651.9	1121.2	469.3

इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 4(1)(a)(b)(c)(d)(2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूलस 2004 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व 3/8 में दझडनीय अपराध है। अतः अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुद्वा 38 गैस सिलेण्डर मय 469.30 किग्रा एलपीजी एक रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर एक प्लेटफॉर्म कांटा एक गोल हैड वेट काटा, दस डेमेज रेगूलेटर, बीस सिलेण्डर कैप, टूटी हुई सीले व एक रिफिलिग उपकरण (बांसुरी) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया गया । उभय पक्ष को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.1.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से दुकान में एल.पी.जी. सिलेण्डर रखे होना पाया गया। गैस सिलेण्डरो के संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड के खण्ड 4(1)(a)(b)(c)(d)(2) 6 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 38 गैस सिलेण्डर मय 469.30 किग्रा एलपीजी एक रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर एक प्लेटफॉर्म कांटा एक गोल हैड वेट काटा, दस डेमेज रेगूलेटर, बीस सिलेण्डर कैप, टूटी हुई सीले व एक रिफिलिग उपकरण (बांसुरी) को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी के 38 सिलेण्डर जब्त है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी के अभाव में किया गया भविष्य में उपरोक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नही होगी अतः अप्रार्थी के विरूद्व दर्ज प्रकरण का निस्तारण कर क्षमा प्रदान करे।

हमनें पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा उनके द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत

जिला कलक्टर
अजमेर

कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर/व्यावायिक सिलेण्डर का दुकान पर अवैध सिलेण्डर पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गय 38 गैस सिलेण्डर मय 469.30 किग्रा एलपीजी एक रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर एक प्लेटफॉर्म कांटा एक गोल हैड वेट काटा, दस डेमेज रेगूलेटर, बीस सिलेण्डर कैप, टूटी हुई सीले व एक रिफिलिग उपकरण (बांसुरी) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर